बैंकिंग क्षेत्र - जोखिम और आघात के प्रति लचीलापन रखना तथा लेखाकरण प्रोफेशन की भूमिका *

के.सी. चक्रवर्ती

श्री अमरजीत चोपड़ा, भूतपर्व अध्यक्ष, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया, श्री जी. रामास्वामी, वर्तमान अध्यक्ष, (इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया), श्री रेड्डी तथा परिषद के अन्य सदस्य, माननीय अतिथि और प्रतिनिधिगण, देवियो और सज्जनो। पूरे विश्व से आये हुए लेखाकार प्रोफेशनल्स की इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े सामयिक और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए लेखाकारों के इस सम्मेलन को आयोजित करने में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के प्रयासों की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। हाल के वैश्विक संकट ने लेखाकरण प्रोफेशन सहित अन्य प्रोफेशन्स के लिए कई सबक सामने रखे हैं। क्षुब्ध वैश्विक परिवेश के कारण आनेवाले वर्ष अत्यंत चुनौतीपूर्ण होंगे तथा केंद्रीय बैंक और यहां एकत्र प्रतिष्ठित लेखाकरण प्रोफेशनल्स के सामने इन अशांत परिस्थितियों में वित्तीय क्षेत्र को मार्गदर्शन देने के मामले में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

2. वर्तमान सत्र का शीर्षक ''बैंकिंग क्षेत्रः जोखिम और आघात के प्रति लचीलापन'' भी अत्यंत प्रासंगिक है। जोखिम तथा आघात के प्रति लचीलापन बनाये रखना बैंक प्रबंधन और बैंक विनियमन तथा पर्यवेक्षण का अभिन्न अंग है। तथापि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने यह सुनिश्चित करने का महत्त्व अभूतपूर्व दृष्टि से बढ़ा दिया है कि बैंकिंग क्षेत्र प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमता का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक समबुद्धि से करे। पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संस्थाओं में कुछ ऐसे तौर-तरीके प्रकाश में आये हैं जो जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण के महत्त्व की ओर संकेत करते हैं। विश्व स्तर पर जोखिम प्रबंधन का ढांचा तैयार करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं ताकि यह पता किया जा सके कि जोखिम कहाँ हैं, और उनका प्रबंधन करने के लिए क्या किया जाए। लेकिन दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं जो यह स्पष्ट संकेत करती हैं कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली का फूलप्रूफ तरीका विकसित करने का काम अभी भी चल रहा है तथा हम कितने भी अच्छे और उन्नत तरीके क्यों न ढूंढ निकालें, आघात आयेंगे ही।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में लेखाकरण प्रोफेशन और रिज़र्व बैंक के बीच के सह-संबंधों तथा प्रोफेशनल दक्षताओं को शेयर करने पर बल दिया है। रिज़र्व बैंक में काम करने वाले हम लोग लेखाकरण प्रोफेशन पर कम-से-कम 2 बातों पर निर्भर करते हैं - अपनी खुद की बैलेंसशीट की लेखा-परीक्षा के लिए तथा वाणिज्य बैंकों की बैलेंसशीट की लेखा-परीक्षा के लिए, जिनका हम नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते हैं।[1] मैं इस अवसर का उपयोग जोखिमों और आघातों के प्रबंधन में बैंकों में लचीलापन सृजित करने में लेखाकरण प्रोफशन की भूमिका के, ऊपर संदर्भित दूसरे पहलू के अभिन्न अंग के रूप में लेखाकरण प्रोफेशन की भूमिका के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए करूंगा।

I. जोखिम और आघात

4. प्रारंभ में मैं जोखिमों और आघातों के विषय में कुछ बातें कहूंगा। सामान्यतः जोखिमों को परिणामों से जुड़ी अनिश्चितताओं (उदाहरण के लिए राजस्व और लाभों की दृष्टि से) के रूप में समझा जाता है। इस प्रकार जोखिम ''संभावित हानियों'' का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर आघात अप्रत्याशित प्रतिकूल घटनाओं को संकेतित करते हैं और ऐसी घटनाओं का प्रभाव ''अप्रत्याशित हानियों'' का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीय संस्थाओं को, और खासकर बैंकों को, संभावित और असंभावित - दोनों तरह की हानियों के प्रति लचीलापन सृजित अवश्य करना चाहिए।

5. बैंकों के विनियात्मक ढांचे में, एक विवेकपूर्ण ढांचे की सहायता से जाखिमों और आघातों - दोनों के प्रति लचीलापन सृजित करने की

* लेखाकरण प्रोफेशन : उभरती चुनौतियों का समावेशी वृद्धि के लिए उपयोग करना विषय पर चेन्नै में 7 जनवरी 2012 को आयोजित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का वक्तव्य। सुश्री डिंपल भांडिया द्वारा इस भाषण को तैयार करने में दी गई सहायता को आभार पूर्वक स्वीकार किया जाता है।

[1] ''लेखाकरण प्रोफेशन की चुनौतियां : कुछ चिंतन'' विषय पर वेस्टर्न इंडिया रीजनल कौंसिल ऑफ द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा 16 दिसंबर 2011 को मुंबई में आयोजित 26वें क्षेत्रीय सम्मेलन में रिज़र्व बैंक के गवर्नर, डॉ. डी सुब्बाराव द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण।

व्यवस्था है। प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं का उद्देश्य, अप्रत्याशित हानियों से निपटने के लिए आवश्यक बफर बनाने में बैंकों को सक्षम बनाना है जबकि पूंजी संबंधी बफर बैंकों को अप्रत्याशित हानियों से निपटने के साधन उपलब्ध कराते हैं। प्रावधानीकरण के अंतर्गत जोखिमों के भलीभांति निर्धारण और उनके मापन की व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्याशित हानियों का आकलन पूरी विश्वसनीयता के साथ किया जाता है। दूसरी ओर, आघातों के प्रति लचीलापन सृजित करने के अंतर्गत एक जटिल निर्णय लिया जाना अपेक्षित होता है कि अप्रत्याशित और महाविपत्ति की घटनाओं से निपटने के लिए बैंकों को कितनी पूंजी बफर के रूप में रखनी चाहिए। विनियात्मक यह निर्धारित करने के प्रयास करते हैं कि प्रत्येक बैंक अपनी जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में कितनी न्यूनतम पूंजी रखें। बैंक यह स्वयं निर्धारित करते हैं कि वे अप्रत्याशित हानियों के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में अपने आकलन के आधार पर, इस न्यूनतम स्तर से अधिक कितनी पूंजी रखें।

6. इस संबध में विनियामकों की भूमिका भी कुछ हद तक उपदेशात्मक भी रही है। वे बैंकों को जोखिम प्रबंधन प्रणाली के महत्त्व के बारे में भलीभांति अवगत कराते रहे हैं। विनियामक बैंकों को एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के उनके प्रयासों के संबंध में मार्गदर्शन देते रहे हैं तथा वैश्विक सर्वोत्तम तरीकों के संबंध में अपने विचार शेयर करते रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने भी, एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में देश के बैंकों को मार्गदर्शन देने के अनेक प्रयास किये हैं। बैंकों में भी आस्ति-देयता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश सर्वप्रथम 1999 में जारी किये गये, ऋण जोखिम और बाजार जोखिम संबंधी दिशानिर्देश अक्तूबर 2002 में और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के संबंध में 2005 में दिशानिर्देश जारी किये गये।

7. लेखाकरण प्रोफेशन, वित्तीय विवरण निर्धारित करने और साथ ही बैंकों में लेखा-परीक्षा करके यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि बैंक जोखिमों के रास्तों की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तथा वर्तमान प्रावधान और पूंजी संबंधी बफर बैंकों को विनियामक दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीकों से, जोखिमों तथा आघातों के प्रति पर्याप्त लचीलापन प्रदान करते हैं।

II. बैंक और जोखिम

8. यह कहना संभवतः पुनरुक्ति होगा कि बैंकिंग का संबंध जोखिम प्रबंधन से है। बैंकों का कारोबार जोखिम उठाने से जुड़ा है क्योंकि परिपक्वता के रूपांतरण की प्रक्रिया में जोखिम अंतर्निहित हैं। वस्तुतः जोखिम लेना बैंकों के अस्तित्व का केंद्र बिंदु है, और ऐसा वस्तुतः राष्ट्र, समाज और बैंकिंग प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र के उद्यमों के केंद्रबिंदु में है। जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने एक बार कहा था ''यदि मनुष्य का स्वभाव मौके की तलाश के प्रति आकर्षण महसूस न करे तो .. .. तो केवल नीरस गणनाओं के परिणामस्वरूप ज्यादा निवेश की स्थिति पैदा नहीं होगी''।

9. हाल के वर्षों में जोखिम प्रबंधन, विशेषतः वित्तीय संस्थाओं के लिए, एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। जोखिमों की मात्रा के निर्धारण और उनके बारे में सूचना देने के लिए तौर-तरीके विकसित करने पर विभिन्न स्तरों पर - संगठनों के अंतर्गत व्यक्तिगत जोखिम उठानेवालों, संगठनात्मक इकाईयों, समग्र संस्था और अभी बिल्कुल हाल में, समग्र वित्तीय प्रणाली के स्तर पर - बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

10. इतना कहने के बाद, यह मान लेना गलत होगा कि वित्तीय संस्थाओं में सामान्यतः और बैंकों में विशेष रूप से, पहले जोखिम प्रबंधन की कोई प्रणाली नहीं थी। वस्तुत बैंकों में, समग्र आस्ति-देयता प्रबंधन के ढांचे के अंतर्गत जोखिमों का ढांचा विद्यमान रहा है। आधुनिक वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में इस जोखिम प्रबंधन ढांचे का विस्तार, तुलन-पत्र से इतर की स्थितियों सहित, आस्ति और देयता के सभी वर्गों में जोखिमों की माप करके एक अधिक बड़े ''जोखिम अभिमुखीकरण'' अभियान के अंतर्गत भी करने का प्रयास किया गया है; इसके अंतर्गत केवल ब्याज दर-आधारित जोखिमों को ही नहीं बल्कि सभी तरह के जोखिमों को शामिल करने के लिए; और किसी वित्तीय संस्था के लिए समग्र जोखिम-समायोजित प्रतिलाभ ढांचा निर्धारित करने के लिए भी।

11. तो अब क्या बदल गया है? जोखिम प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिए जाने का मुख्य कारण पिछले कुछ दशकों में वित्तीय क्षेत्र में हुई अनेक गतिविधियां हैं। पहला, अस्थिरता में वृद्धि के साथ-साथ वित्तीय बाजारों का नियंत्रण हटाया जाना। दूसरा, बैंकों के उधार देने और उधार लेने के परंपरागत कामों से हटकर उनकी गतिविधियों का विस्तार करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करना, प्रतिभूतियों की अंडरराइटिंग और कंपनियों को परामर्श देना शामिल हैं। तीसरा, वित्तीय प्रणाली के आपसी सह-संबंध में वृद्धि होने के साथ-साथ जटिल वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का उदय। चौथा, पूरे विश्व में विनियामकों ने भी, बैंकों से उनके जोखिमों के अनुरूप पूंजी की व्यवस्था करने की अपेक्षा करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पांचवां, जटिल वित्तीय उत्पादों की वृद्धि के साथ-साथ प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव संबंधी उत्पादों की बढ़ती भूमिका। नए जटिल उत्पाद बाजार में जैसे-जैसे बढ़ते गए, उनके मूल्य निर्धारण के मामले में चुनौतियां पैदा होने

लगीं और साथ ही उनके नकदीकरण में कठिनाइयां और पारदर्शिता में भी कमी आने लगी। अमेरिकी क्रांग्रेस के एक निरीक्षण दल की 2009 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ''कम गुणवत्तावाली आस्तियां कितना जोखिम पैदा करेंगी . . . . यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कम गुणवत्तावाली आस्तियों की संख्या कितनी है। लेकिन इस बात को निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता . . . . जोखिमग्रस्त आस्तियों कीडालर में ठीक-ठीक राशि का निर्धारण कर पाना बिल्कुल असंभव है, यहाँ तक कि विश्वसनीय आकलन करने की चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं''।

12. हाल के वित्तीय संकट ने बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे के महत्त्व को और बढ़ा दिया है। इसने इस बात पर और जोर दिया कि किसी कारोबार से जुड़े जोखिमों का पर्याप्त ध्यान रखे बिना किसी कारोबारी मॉडल को अपना लेना महत्त्वपूर्ण बात थी, विशेषकर तब जब ज्यादातर कारोबार आर्थिक मंदी के शिकार थे। पर इसने मूल्य निर्धारण से जुड़े जोखिमों और, विशेष रूप से आर्थिक चक्र के उछाल के दौरान, अधिकतम लाभ अर्जित करने के प्रयास में जोखिमों को कम करके आंकने की प्रवृत्ति के खतरों के महत्त्व को भी रेखांकित किया है। इसने जोखिमों और आघातों के प्रति वित्तीय संस्थाओं का लचीलापन सुनिश्चित करने, आंतरिक नियंत्रणों, कंपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन के महत्त्व को भी केंद्रबिंदु में में ला खड़ा किया है।

13. उपर्युक्त गतिविधियों का आशय यह है कि बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां पिछले दो से तीन दशकों से निरंतर अधिक जटिल होती जा रही हैं। इन गतिविधियों ने जोखिम प्रबंधन के प्रति नजरिये में मौलिक परिवर्तन लाने का काम किया है। जोखिम प्रबंधन की विधियां पहले मुख्यतः अनौपचारिक और अपेक्षाकृत सरल थीं। वे ज्यादातर अपनी आंतरिक समझ पर आधारित थीं तथा उसके लिए अपनाये गये तौर-तरीके बड़े पुराने और अपरिष्कृत थे। हाल के वर्षों में जोखिम प्रबंधन ने एक नया स्वरूप ग्रहण कर लिया है - एक ऐसा स्वरूप जो जटिल है तथा जिसके लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जोखिम प्रबंधन आज के समय में सूचनाओं पर आधारित है तथा यह उन्नत सांख्यिकी तकनीक पर निर्भर करता है।

14. तो एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू करने में क्या-क्या बातें शामिल हैं? और विशेष रूप से बैंकों के लिए इसके अंतर्गत क्या-क्या शामिल होगा? बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत मूलतः जोखिम और प्रतिलाभ के बीच सामंजस्य बनाए रखना शामिल होगा - एक निश्चित प्रतिलाभ के लिए जोखिमों को कम करना या एक निश्चित स्तर के जोखिम के लिए प्रतिलाभों को अधिकतम स्तर तक ले जाना। बड़े महत्त्व की बात यह है कि इसके अंतर्गत बैंकों से इस बात के लिए सक्षम बनने की अपेक्षा है कि वे जोखिमों का भलीभांति और ठीक-ठीक मूल्य निर्धारित कर सकें।

15. इसके बाद यह सवाल उठता है कि भारतीय बैंकों सहित अन्य बैंकों में जोखिम प्रबंधन ढांचा किस सीमा तक यह ध्यान रखकर तैयार किया गया है कि वह जोखिमों की पहचान ऐसे तरीके से करे कि वह जोखिमों के कारणों का सही पता कर सके और ऐसे जोखिमों की कीमत भी ठीक तरह से निर्धारित कर सके। वरिष्ठ पर्यवेक्षी दल द्वारा मार्च 2008 में ''वैश्विक वित्तीय संकट से जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्राप्त सबक'' शीर्षक से तैयार की गयी एक रिपोर्ट में जोखिमों की पहचान की प्रभावकारिता की कमजोरियों तथा वित्तीय फर्मों में किये जाने वाले विश्लेषणों की विभिन्न कमजोरियों की पहचान की गयी थी। ''वित्तीय सेवा उद्योग में सुधारः अधिक सुदृढ़ प्रणाली के लिए तौर-तरीकों को सुदृढ़ बनाना'' शीर्षक से दिसंबर 2009 में अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में भी बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों के जोखिम प्रबंधन ढांचे की बड़ी कमियों को उजागर किया गया था।

16. मेरा अपना विचार भी यही है कि जोखिम प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत, भारतीय बैंकिंग प्रणाली सहित अन्य बैंकिंग प्रणालियों में अभी भी सुस्थापित नहीं हो पाये हैं। जोखिमों के मापन, प्रबंधन और न्यूनीकरण के सर्वोत्तम तरीके अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांत है जिन्हें बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के अंतर्गत अपनाए जाने की जरूरत है और जिन्हें रिज़र्व बैंक तथा लेखाकरण प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ उपस्थित श्रोतागण सुकर बना सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंड 1992 में लागू किये थे और उनके अंतर्गत ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के प्रावधानों सहित अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। इन दिशानिर्देशों को जोखिम से जुड़ी सोच में आनेवाले परिवर्तनों के साथ-साथ अधिक सुदृढ़ बनाया जाता रहा है। विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न बैंकों ने भी अपनी-अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियां तैयार की हैं। मैं इन मुद्दों पर विस्तार से शीघ्र ही चर्चा करूंगा।

III बैंक और आघात

17. आज अपने संबोधन के प्रारंभ में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आघातों का मतलब अप्रत्याशित हानियां है और ऐसी अप्रत्याशित हानियों के प्रति बैंकों में लचीलापन सृजित करने के लिए विशेष तरह के पूंजी बफर तैयार किये जाते हैं। इस संबंध में मैं दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करूँगा - विनियामकों की भूमिका और दबाव परीक्षण का महत्त्व।

विनियामकों की भूमिका

18. बैंकों द्वारा पूंजी बफर के निर्माण को सुकर बनाने में विनियामकों ने एक बड़ी भूमिका निभायी है ताकि बैंक अप्रत्याशित घटनाओं से पैदा हुई प्रतिकूल परिस्थितियों से निपट सकें। जोखिमों की पहचान करने और जोखिमों के लिए प्रावधान करने के प्रयोजन से बेंकौं में एक ढांचा लागू करने के लिए पहला बड़ा संयुक्त अंतरराष्ट्रीय विनियामक कदम वर्ष 1988 में बासेल कै पिटल अकार्ड के रूप में उठाया गया था। इस व्यवस्था को बासेल अकार्ड का नाम दिया गया जिसके अंतर्गत बैंकों से, उनकी गतिविधियों के अंतर्गत ऋण जोखिमों की पहचान करने और अपनी देनदारियों को पूरा करने तथा ऐसे जोखिमों से होनेवाली अप्रत्याशित हानियों को झेल सकने के लिए पूंजी का प्रावधान करने को कहा गया। बासेल I ढांचे के अंतर्गत बाद में बाजार जोखिमों से संबंधित व्यवस्थाएं भी शामिल कर दी गयीं। वर्ष 2004 में प्रथम बासेल अकार्ड की जगह एक नया अर्काड लाया गया जिसका नाम बासेल II रखा गया जिसके अंतर्गत एक व्यापक जोखिम मापन पद्धति से ध्यान हटाकर उन उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया जो जोखिमों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और लचीले थे जिनमें बैंकों की आंतरिक प्रणालियों, पर्यवेक्षी समीक्षाओं, और बाजार अनुशासन पर ज्यादा जोर दिया गया था और जिनके अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिक सुदृढ़ तथा अधिक दक्ष जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था थी। जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए, बासेल III नाम वाले सुधार उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गयी। नीति संबंधी इस पैकेज का उद्देश्य बैंकों द्वारा रखी गयी पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार लाना, चलनिधि संबंधी मानकों को सुदृढ़ बनाना और इसके जोखिम कवरेज में सुधार लाना, तथा इस नीति से बैंकों द्वारा प्रभावी तरीके से जोखिमों का प्रबंधन किए जाने को सुकर बनाना था।

दबाव परीक्षण

19. अब मैं आघातों के प्रति बैंकों में लचीलापन सृजित करने में दबाव परीक्षण के महत्त्व पर प्रकाश डालूंगा। दबाव परीक्षण द्वारा आधारभूत साधारण परिदृश्य की तुलना में, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में आघातों के प्रति बैंकों के लचीलेपन का आकलन किया जाता है। इसके द्वारा बैंकों को, उनके कारोबार में दबाव के स्थलों की पहचान करके उनके आंतरिक जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने के लिए एक उपकरण उपलब्ध कराया जाता है। आघातों के प्रति बैंकों के लचीलेपन का आकलन करने के लिए दबाव परीक्षणों की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि ये परीक्षण अप्रत्याशित या विशुद्ध जोखिम प्रबंधन आकलनों से परे जाकर अन्य ऐसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ''थ्री सिग्मा'' द्विगुणीकृत अंतराल के अंतर्गत होनेवाली घटनाओं से ज्यादा संबंधित होते हैं।

20. बैंकों के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे के अंग के रूप में दबाव परीक्षण के महत्त्व को बासेल II के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। निवेशकों के विश्वास में कमी आने तथा बैंकिंग क्षेत्र की सुव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को दृष्टिगत रखते हुए, फेडरल रिज़र्व बैंक और यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने समग्र बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन और अलग-अलग बैंकों की बड़े आघात झेल पाने की क्षमता का आकलन करने के लिए कई तरह के दबाव परीक्षण किये। डॉड फ्रैंक ऐक्ट इससे भी एक कदम आगे बढ़कर यह अपेक्षा करता है कि अमेरिकी नीति निर्माता, अन्य बातों के साथ-साथ बड़ी बैंक होल्डिंग कंपनियों का वार्षिक दबाव परीक्षण करें तथा इस दबाव परीक्षण के परिणामों का सारांश प्रकाशित करें। वस्तुतः उस ऐक्ट के अंतर्गत पर्यवेक्षी दबाव परीक्षणों (विनियामक प्रतिकूल परिदृश्य को निश्चित रूप से पहचान और, प्रत्येक फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को आधार बनाकर मानकीकृत आधार-पर, होनेवाली हानियों से संबंधित आकलन का निर्धारण करें) और बैंकचालित दबाव परीक्षणों (विनियामक परिदृश्य निश्चित करें लेकिन प्रत्येक बैंक से यह अपेक्षा करें कि वह स्वयं दबाव संबंधी घटना का मॉडल तैयार करे) को अनिवार्य बना दिया गया है।

21. भारत में भी, हाल के वैश्विक संकट से पर्याप्त पहले ही दबाव परीक्षण के महत्त्व को महसूस किया गया। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006 में बैंकों को दबाव परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश जारी किये। इधर हाल में रिज़र्व बैंक निर्दिष्ट जोखिम कारकों में विभिन्न तरह के आघातों के प्रति बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन का आकलन करने और समग्र समष्टि वित्तीय परिवेश में आनेवाली गिरावट का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव परीक्षण करता रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में, और अपेक्षाकृत अधिक व्यापक वित्तीय क्षेत्र में, अनुकृत प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति बैंकों के लचीलेपन का आकलन करने के लिए, बैंकों के बीच प्रतिकूल परिस्थितियों में आपसी निर्भरता का मॉडल तैयार करके तथा नेटवर्क विश्लेषण जैसे उपकरणों की सहायता से, अन्य तौर-तरीके भी अपनाए जा रहे हैं।

22. आगे बढ़ने पर, यह बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होगा कि कारोबारी और पूंजी आकलन तथा बैंकों की योजना संबंधी गतिविधियों में दबाव परीक्षणों के परिणामों को अंतर्विष्ट किया जाए। कोई भी बैंक किस सीमा तक, प्रत्याशित और अप्रत्याशित हानि उठाने के लिए इच्छुक है, यह उस बैंक के प्रबंध-तंत्र के निर्णय के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, तथा ऐसा निर्णय उपलब्ध सूचना के भलीभांति और विश्लेषणपरक आकलन पर आधारित होना चाहिए। यह अपेक्षित नहीं

है कि बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए भी उसी प्रकार प्रावधान करें जिस प्रकार प्रत्याशित हानियों के लिए किया जाता है, लेकिन किसी बैंक द्वारा रखी जानेवाली ''आर्थिक पूंजी'' का निर्धारण करते समय ऐसी हानियों पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए।

IV. जोखिमों तथा आघातों के प्रति लचीलापन सृजित करने में बैंकों के प्रबंधन-तंत्र की भूमिका

23. पिछले कुछ दशकों से थोड़े अधिक समय के दौरान जैसे-जैसे विनियामक ढांचा निर्मित होता गया है वैसे-वैसे जोखिमों और आघातों के प्रति बैंकों में लचीलापन सृजित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों और तौर-तरीकों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। जोखिम प्रबंधन के लिए प्रथम रक्षापंक्ति बैंकों के प्रबंध-तंत्रों और विशेष रूप से बैंकों के निदेशक-मंडलों, की ओर से आनी चाहिए। बैंकों द्वारा पूंजी-पर्याप्तता का आकलन और आयोजन यह सुनिश्चित करने की प्रमुख कुंजी है कि बैंक जोखिमों और आघातों के प्रति लचीला बने रहें। जोखिम आने या आघात लगने से होने वाली हानियों का प्रबंधन करने के लिए वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र और निदेशक-मंडलों के पास सही सवाल पूछले के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जब तक किसी बैंक का प्रबंध-तंत्र बैंक में जोखिम और नियंत्रण की पद्धति को आत्मसात करने और संस्थापित करने के लिए पूर तरह तैयार न हो, तब तक बैंकों में लचीलापन बढ़ाने की सफलता बहुत सीमित रहेगी।

24. यदि प्रबंध-तंत्र को सही सवाल पूछने हैं तो यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि बैंकों में सूचना प्रणालियां इन सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हों। उदाहरण के लिए, बैंक आजकल विभिन्न गतिविधियों की जोखिम प्रतिलाभ विशेषताओं से जुड़े सवालों का जवाब देने में कठिनाई महसूस करेंगे। जब तक सूचना प्रणालियों को ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार और विकसित नहीं किया जाता तब तक संबद्ध जोखिमों का ध्यान रखकर प्रभावी निर्णय ले पाना प्रायः असंभव होगा। इस संदर्भ में मुझे गवर्नर अलन ग्रीन स्पैन की टिप्पणी याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था : ''मेरा अनुभव रहा है कि गणित में सक्षमता से, संख्यात्मक कौशल और उसके संकल्पनागत आधारों को समझने - दोनों में, हमारे दैनंदिन वित्तीय निर्णयन में प्रभावी अधिक अस्पष्ट तथा गुणात्मक संबंधों का पूरा ख्याल रखने में किसी व्यक्ति की दक्षता में वृद्धि होती है''[2]। चूंकि अब वित्तीय निर्णयन अधिक जटिल होता जा रहा है, इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम ऐसी सूचना प्रणालियां तैयार करें जिनसे ऐसे निर्णय ले सकना आसान हो जाए। विशेष रूप से एक जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू करने के संबंध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंकों की सूचना प्रणालियां गतिविधि स्तर पर ''प्रतिलाभों से संबंधित सूचना तथा छोटे-छोटे रूप में प्रत्येक अलग-अलग खंड की रिपोर्ट उपलब्ध कराने में सक्षम हो''[3]।

25. अंतोत्वगत्वा यदि बैंकों को पर्याप्त लचीलापन विकसित करना है तो उनके प्रबंध-तंत्र को कारोबारी इकाइयों और जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाणी होगी। बार-बार यह अनुभव किया गया है कि अच्छे समय में, विशेष रूप से जब असमान प्रोत्साहन उभर कर सामने आने की प्रवृत्ति होती है, तब कारोबारी पक्ष की बातें सुनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

V. लेखाकरण प्रोफेशन की भूमिका

अब मैं जोखिमों और आघातों के प्रति बैंकों के लचीला बने रहने के संबंध में लेखाकरण प्रोफेशन की भूमिका के संबंध में कुछ मिनटों तक विचार करूंगा।

लेखा विवरणों की भूमिका :

26. जैसाकि हम जानते हैं, आधुनिक लेखाकरण का उद्गम वेनिस के एक साधु ल्यूका पैसिओली से हुआ जिन्हें आज तक ''लेखाकरण का जनक'' कहा जाता है। वर्ष 1494 में ल्यूका पैसिओली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''*सुम्मा डि अरिथमेटिका, जियोमेट्रिया, प्रपोर्शिओनी एट प्रपोर्शनलिटा*'' ('द कलेक्टेड नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक, जियोमेट्री, प्रपोर्शन ऐण्ड प्रपोर्शनैलिटीट) प्रकाशित की। इस पुस्तक का एक भाग, ''*पार्टिकुलरिस डि कम्प्यूटिस एट स्क्रिप्टरिस*'' लेखाकरण के संबंध में एक आलेख था जिसमें पहली बार डबल इन्ट्री अकाउंन्टिग का वर्णन किया गया था, जिसे वेनिशियन मेथड भी कहा जाता है।

27. लेखाकरण प्रोफेशन का विकास, जैसा कि इसे हम इस समय जानते हैं, ज्वॉइट स्ट्रॉक कंपनी के उद्भव के साथ हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन से स्वामित्व को अलग कर दिया गया जिसके चलते स्वतंत्र और सूचनाओं पर आधारित राय बनाने की जरूरत पड़ी थी कि प्रबंध-तंत्र को दी गई निधियों का प्रयोग/लेखाकरण किस प्रकार किया जा रहा है। भारत में इस प्रोफेशन का उदय वर्ष 1857 में कंपनी अधिनियम बनाये जाने के साथ हुआ। इस प्रोफेशन ने अब तक एक लंबा रास्ता तय किया है तथा इसके विचार और कंपनियों के लेखाओं के आकलन हितधारकों के एक बहुत बड़े वर्ग - शेयरधारकों, ऋण

[2] www.alangreenspan.org

* डालमिया लायन्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड एकोनोमिक्स, मुंबई में 11फरवरी 2011 को इंडियन फाइनैन्सियल रिपोर्टिंग सिस्टम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ''इंट्रोडक्शन ऑफ आइएफआरएस - इश्यूज़ एण्ड चैलेन्जेस'' विषय पर दिया गया भाषण।

दाताओं, निवेशकों, बैंकिंग प्रणाली, विनियामकों, सरकार और समाज - को भी आश्वस्त करने का काम करते हैं।

28. तथापि, यह स्पष्ट है कि न तो लेखाकरण के उदय और न ही लेखाकरण प्रोफेशन के उदय का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन था। इसके बावजूद वित्तीय फर्मों के जोखिम प्रबंधन ढांचे के आकलन के लिए लेखा विवरणों पर बहुत अधिक निर्भरता बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के एक वर्किंग पेपर [4] में लेखा विवरणों के उद्देश्य का स्पष्ट विवरण दिया गया है ''सर्वप्रथम, किसी भी फर्म के बारे में सूचना - चाहे वह फर्म वित्तीय हो या गैर-वित्तीय - तीन बातों से संबंधित होनी चाहिए, यथाः इसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता का आकलन; इसके जोखिम प्रोफाइल का आकलन; और इन दो प्रकार के आकलनों से जुड़ी अनिश्चितताओं का मापन''।

29. लेखा विवरण निस्संदेह वर्तमान वित्तीय स्थितियों का आकलन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह अभी बहस का भी मुद्दा है कि ऐसे विवरण फर्मों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने में कितने सफल रहे हैं। हार्वर्ड के प्रोफसर एडी रीडल ने एमबीए कक्षा के अपने विद्यार्थियों से कहा था कि ''एकांउन्टिंग = एकोनोमिक ट्रुथ + मेज़रमेंट एरर + बायस''। इस वाक्य का संदर्भ लेते हुए सत्यजित दास ने अपनी हाल की पुस्तक ''एक्स्ट्रीम मनी'' में वस्तुतः टिप्पणी दी है कि अब लेखाकरण मुख्यतः ''मेज़रमेंट एरर'' और ''बायस'' है - जो बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है।

30. हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय विवरणों की अनेक कमजोरियों को, वस्तुतः लेखा मानकों की कमजोरियों को उजागर किया है, जिनके आधार पर विवरण तैयार किये जाते हैं। लेखाकरण पद्धतियों, या कम से कम उनमें से कुछ की यह कहकर आलोचना की जाती है कि उन्होंने संकट की गंभीरता बढ़ाने में योगदान दिया। पहचाने गये मुद्दों के अंतर्गत कुछ का नाम लिया जा सकता है तथा ये हैं - चलनिधि की कमी झेल रहे बाजारों और अपर्याप्त बिक्री की समस्या का समाधान करने में लेखा मानकों की असफलता, ऋणों से जुड़ी हानियों की विलंब से पहचान, गठित ऋण उत्पाद, तुलन-पत्र से इतर वित्तपोषण ढांचे, कुछ गठित/विशेष प्रयोजन के लिए गठित संस्थाओं को अनुमति देना तथा ऋण आदि जोखिमों को तुलन-पत्र से बाहर रखने की अनुमति देना, लेखा विवरणों में ''पारदर्शिता'' का अभाव। हर हालत में लेखा मानकों, विशेषतः वित्तीय लिखतों से संबंधित लेखा मानकों की असाधारण जटिलता, संकट के परिप्रेक्ष्य में, कटु आलोचना का विषय रही।

[4] अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक का वर्किंग पेपर नं. 180 ''एकाउन्टिंग प्रूडेन्शियल रेग्युलेशन एण्ड फायनेंसियल स्टॅबिलिटी : एलिमेंट ऑफ ए सिंथेटिक'', क्लाडयो बोरयो ओर पुस्तक सात्सारामि, मॉनेटरी एण्ड एकोनोमिक डिपार्टमेंट, सितंबर 2005।

31. इन मुद्दों की पहचान कर लेने के बाद बासेल समिति ने ''आइएएस 39 की जगह लेने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत'' जारी किये जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संकट से सीखे गये सबकों को घोषित करते हैं और बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए ऋण संबंधी हानियों को अपेक्षाकृत जल्दी पहचानने की जरूरत पर जोर देते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि जब बाजार अस्त-व्यस्त हो जाते हैं या चलनिधि की कमी झेलने लगते हैं तब उचित मूल्य प्रभावी नहीं रहता है; उचित मूल्य श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं को परिशोधित लागत श्रेणी में ले जाए जाने की अनुमति देते हैं, कारोबारी मॉडल में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने वाली घटनाओं के बाद जिनकी अनुमति केवल कभी-कभी ही देते हैं; सभी क्षेत्रों में समान अवसर की उपलब्धता को प्रोत्साहन देते हैं।

32. संकट से प्राप्त सबकों का ध्यान रखने के लिए कुछ अति महत्त्वपूर्ण लेखा मानक संशोधित किये जा रहे हैं जो यह सुनिश्चित करने में पर्याप्त योगदान देंगे कि बैंक की पूंजी और उसके द्वारा किये गये प्रावधान बैंकों के तुलन-पत्रों में जोखिमों के ज्यादा अनुरूप हों। प्रत्याशित और अप्रत्याशित - दोनों तरह की हानियों का आकलन अशुद्ध विज्ञान है, इसलिए बेहतर आकलन करने, उनके लिए प्रावधान करने और बफर की पर्याप्तता का आकलन प्रस्तुत करने से संबंधित प्रयास अभी भी जारी हैं।

लेखा-परीक्षा की भूमिका

33. अब मैं बैंकों में जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता प्रणाली की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने में लेखा-परीक्षा की भूमिका के बारे में कुछ बातें करूंगा। यदि अत्यंत सीमित परिदृश्य में विचार किया जाए तो लेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि लेखापरीक्षित संस्था वर्तमान लेखाकरण संबंधी मानकों का उसी प्रकार अनुपालन कर रही है जिस प्रकार पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने का काम करते हैं कि बैंक निर्धारित विनियामक ढांचे का अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन पर्यवेक्षकों और लेखा परीक्षकों से हमारी अपेक्षाएं - समाज की वित्तीय प्रणाली की और हमारी स्वयं की अपेक्षाएं इस संकीर्ण परिदृश्य से परे तक जाती हैं।

34. वर्तमान परिचर्चा के संदर्भ में पर्यवेक्षक और लेखा परीक्षक - दोनों का हित यह सुनिश्चित करने में निहित है कि बैंक ज्ञात जोखिमों और अज्ञात आघातों - दोनों के प्रति लचीले हैं। विशेष रूप से, पर्यवेक्षक और लेखा परीक्षक - दोनों यह सुनिश्चित करने के इच्छुक रहते हैं कि बैंक जोखिम प्रबंधन की ऐसी प्रभावी प्रणाली लागू करें जो यह सुनिश्चित कर सके कि जोखिमों की पहचान कर ली जाए, उनका मापन किया जा सके, उनका प्रबंधन किया जा सके तथा उनकी ठीक-ठीक कीमत निश्चित की जा सके।

35. इस संबंध में यह महत्त्वपूर्ण है कि लेखा परीक्षक बैंकों के प्रावधानों और उनकी पूंजी की पर्याप्तता के बारे में तहक़ीकाती सवाल करें। इसका यह मतलब नहीं है कि लेखा परीक्षक इस समय इस पहलू पर ध्यान नहीं देते। फिर भी, इस मामले में कुछ कमियां अभी भी हैं, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के निष्कर्षों में भी बताया गया है। इस प्रकार बैंकों की पूंजी और उससे संबंधित प्रावधानों की पर्याप्तता के मुद्दे पर लेखा परीक्षकों द्वारा और बारीकी-से ध्यान दिए जाने की गुंजाइश है।

शेष बातें

36. लेखाकरण मानक और लेखा विवरण इस बात का ध्यान रखकर नहीं बनाए गए थे कि वे जोखिम प्रतिलाभ के सहसंबंधों की मजबूरियों का ध्यान रख सकें। कुछ सीमा तक संकट की अवधि के बाद लेखाकरण मानकों में किए जा रहे सुधार इस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा कि लेखा विवरण बैंकों द्वारा रखी गयी पूंजी और उससे जुड़े प्रावधानों के स्तर से जुड़े मुद्दों का आकलन और प्रस्तुतीकरण कर सकें तथा जोखिमों और आघातों के प्रति बैंकों का लचीलापन सुनिश्चित कर सकें।

37. जैसे-जैसे लेखा परीक्षक बैंकों की नियंत्रण प्रणालियों के अंग के रूप में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए अपने को तैयार करते जाएंगे, वैसे-वैसे उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती जायेगी। इसके लिए लेखा परीक्षकों को बैंकों के कारोबार की बेहतर समझ रखने की जरूरत होगी। लेखा परीक्षकों द्वारा की जा रही समीक्षा को सामान्य बातों से आगे बढ़ना होगा ताकि लेखा परीक्षक बैंकों के कारोबार का विवेचनात्मक विश्लेषण कर सकें और आंतरिक नियंत्रण ढांचे में सुधार लाने के लिए सिफारिशें दे सकें। बैंकों के उत्पादों और कारोबार की निरंतर बढ़ रही जटिलताओं, बासेल समझौते जैसे विनियमों की समानान्तर गतिविधियों और आसन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के कारण ये चुनौतियां और बढ़ेंगी तथा लेखा परीक्षकों के तकनीकी संसाधनों और उनके प्राधिकार पर अधिक दबाव डालेंगी।

38. इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए यह जरूरी होगा कि लेखा परीक्षक बाजारों, उत्पादों, और उनकी अंतर-संबद्धता की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी हासिल करें, वह भी, विशेष रूप से दबाव के समय में । लेखा परीक्षकों को लेनदेन की लेखा परीक्षा की संकीर्ण सोच से आगे बढ़कर बेहतर परिदृश्य पर नजर डालनी होगी। उन्हें तीखे और सरल सवाल पूंछने होंगे। क्या बैंकों के निर्णयों में जोखिमों का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है? चूंकि उच्चतर जोखिमों से ही उच्चतर प्रतिलाभ संभव है, इसलिए क्या प्रतिलाभों या आमदानी पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है? बैंक जिन उत्पादों/ बाजारों/कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश कर रह हैं, क्या वे उनके जोखिम-पुरस्कार से जुड़ी बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं?

39. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, कोर बैंकिंग लागू होने, केंद्रीकृत रिकार्ड कीपिंग की व्यवस्था और केंद्रीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के उदय को दृष्टिगत रखते हुए लेखा परीक्षकों द्वारा शाखाओं की लेखा परीक्षा किए जाने के बजाए प्रधान कार्यालय की लेखा परीक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत के बारे में रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा हाल में की गई टिप्पणियां अत्यंत समीचीन हैं।

निष्कर्ष टिप्पणी

40. हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने इस बात पर जोर दिया कि जोखिमों और आघातों से बचा नहीं जा सकता। जोखिम उठाना बैंकों के कारोबार का अभिन्न अंग है। इस प्रकार जोखिमों का प्रबंधन बैंकों के लिए प्रमुख है लेकिन अलग-अलग बैंकों में जोखिम प्रबंधन के तरीके, जोखिम-प्रतिलाभ के बीच के सहसंबंध के मूलभूत सिद्धांतों की दृष्टि से अलग-अलग हैं। इसलिए केंद्रीय बैंकों और लेखाकरण प्रोफेशन के लिए अनिवार्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन जोखिमों का प्रबंधन ठीक तरह किया जाय और बैंक जोखिमों और आघातों के प्रति स्वीकार्य स्तर का लचीलापन विकसित करें।

41. कई क्षेत्रों में तथा कई दृष्टियों से बैंकिंग पर्यवेक्षकों और लेखा परीक्षकों की चिंताएं एक दूसरे की पूरक हैं। संकट ने यह साबित कर दिया है कि हमें अधिक सक्रिय और अधिक आक्रामक बनना सीखना पड़ेगा। जैसे-जैसे हमारे आस-पास की दुनिया अधिक जटिल होती जाएगी, हमें अपने को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। इस संदर्भ में कौशल और दक्षता का निर्माण तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा का जारी रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

42. विशेष रूप से लेखाकारों को लेखाकरण मानकों के संकीर्ण विचारों से आगे बढ़ना होगा तथा निरंतर समस्याओं के उत्तर ढूंढ़ने होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें जोखिम प्रबंधन के मामले में स्वीकृत संकल्पनागत ढांचे के अंतर्गत काम नहीं करना चाहिए। बल्कि इसका यह मतलब है कि उन्हें आनेवाले जोखिमों के प्रति, ढांचे के मानदंडों के अंतर्गत, अत्यंत सक्रिय होना होगा। मैं अपनी बात सर डेविड ट्वीडी[5] के शब्दों के साथ समाप्त करूंगा जो हाल ही में इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, 'मेरा दृढ़ विश्वास है कि लेखाकार एक कलाकार होता हैं लेकिन उसे अपने विषय का चित्रण

[5] ''बीनकाउंटर आर मार्केट ड्राइवर? - द रोल ऑफ द रिपोर्टिंग अकाउंटेंट''। सर डेविड ट्वीडी द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड में 4 सितंबर 2008 को दिया गया भाषण।

विश्वासपूर्वक करना पड़ता है। मैं यह नहीं मानता कि लेखाकरण प्रोफेशन के विवेक का स्थान कोई सर्च इंजिन ले सकता है और अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मानक निर्धारण करने वाले या संबंधित लेखा प्राधिकारियों द्वारा दे दिए जाते हैं। दूसरी ओर, मैं यह भी नहीं मानता कि पेंटिंग वैयक्तिक सृजन हो सकता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। तैयार किया जानेवाला चित्र अब कारोबार के संबंध में वैयक्तिक संकल्पना नहीं रह गया है। किसी कारोबार की सफलता या विफलता का मापन अब उन मानकों द्वारा किया जाता है जो वैश्विक वित्तीय समुदाय द्वारा स्वीकृत संसकल्पनागत ढांचे का निर्धारण ज्यादा बारीकी से करते हैं।

43. इन सबके बावजूद लेखाकरण प्रोफेशन या ''पर्यवेक्षण'' का मुख्य आधार हमेशा, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के उस विश्वास में निहित है जिसमें उन्होंने कहा था कि ''विश्वास करो ..... लेकिन सच्चाई की छानबीन भी करो। हमें किस सीमा तक विश्वास चाहिए और किस सीमा तक सच्चाई की छानबीन करनी चाहिए, यह विवेक का विषय है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में किया जाने वाला विचार-विमर्श बेहतर विवेक सृजित करने की दिशा में कुछ संकेत अवश्य करेगा। मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए देवियों और सज्जनों को धन्यवाद।